झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–06/वन निगम–05/2021– 582 व0प0, राँची, दिनांक– 02/03/2022

बिहार केन्दु पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा–'7' के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मौसम वर्ष–2022 में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए उक्त अधिनियम की धारा–'3' के अधीन अधिसूचित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न इकाई में केन्दु पत्ती (प्रति मानक बोरा) संग्रहण के लिए संग्रहण दर की अनुशंसा प्रमण्डल स्तर पर गठित केन्दु पत्ती सलाहकार समिति द्वारा निम्न प्रकार किया गया है :–

क्र0 सं०	प्रमंडल का नाम	समिति द्वारा अनुशंसित संग्रहण दर	
		वनभूमि/सरकारी भूमि के केन्दु पत्ती के लिए प्रति मानक बोरा	रैयती भूमि के केन्दु पत्ती के लिए प्रति मानक बोरा
1.	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची	1550/–रू0	1550/–रू0
2.	कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा	1350/–रू0	1350/–रू0
3.	उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग	1500/–रू0	1500/–रू0
4.	पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर	1550/–रू0	1550/–रू0
5.	संथाल परगना प्रमंडल, दुमका	1500/–रू0	1500/–रू0

(2) उक्त के क्रम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची के ज्ञापांक–65 दिनांक–12.01.2022 द्वारा सरकारी एवं रैयती भूमि के लिए वर्ष 2022 में केन्दु पत्ती के संग्रहण हेतु संग्रहण दर रू० 1550/– (पंद्रह सौ पचास) प्रति मानक बोरा की अनुशंसा प्राप्त है।

(3) उक्त के क्रम में वर्ष 2022 में सरकारी एवं रैयती भूमि से केन्दु पत्ती संग्रहण दर रू० 1550/– (पंद्रह सौ पचास) प्रति मानक बोरा निर्धारित किया जाता है।

(3) **यह दर 30 जून 2022 तक प्रभावी रहेगा।**

(5) प्राथमिक संग्रहणकर्त्ताओं को उक्त संग्रहण दर पर भुगतान "झारखण्ड राज्य केन्दु पत्ता नीति, 2015" में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।

(6) उक्त पर मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(जॉन केरकेट्टा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–06/वन निगम–05/2021– व0प0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–06/वन निगम–05/2021– व0प0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–06/वन निगम–05/2021– व0प0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के वरीय आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–06/वन निगम–05/2021– 582 व0प0, राँची, दिनांक–02/03/2022

प्रतिलिपि–सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, मकान नं0–455/ए0, रोड नं0–05, पोस्ट–अशोक नगर, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची–834002/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, राँची एवं हजारीबाग/सभी प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय प्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची से अनुरोध है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में सलाहकार समिति के सभी प्रमंडलीय अध्यक्षों एवं सदस्यों को अपने स्तर से भी संसूचित करने की कृपा की जाय। साथ ही अनुरोध है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार राज्य के मुख्य समाचार पत्रों के साथ–साथ स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से भी कराने की कृपा की जाय।

02/03/2022
विशेष कार्य पदाधिकारी